## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 17/13 GCMS NO 2013/00093

तिवाडी प्रधुमन कुमार दत्तक पुत्र गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुर

अपीलांट

बनाम

1. पूरण पुत्र किस्तुरा (मृतक)
2. दिनेश पुत्र किस्तुरा
3. महेन्द्र पुत्र किस्तुरा
4. संजय पुत्र किस्तुरा
5. आशा उर्फ ओमवती पुत्री किस्तुरा
6. उमा पुत्री किस्तुरा
7. मंजू पुत्री किस्तुरा सभी जा[illegible]यान महाजन निवासीयान हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. मुरारी पुत्र लल्लूराम (फौत)

8/1. शांति पत्नि मुरारीलाल (फौत)(हजफ)
8/2. गोपाल पुत्र मुरारीलाल
8/3. बाबूलाल पुत्र मुरारीलाल
8/4 मनोज कुमार पुत्र मुरारीलाल सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान हिण्डौन सिटी हाल निवासी 177 नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर

9. जगदीश पुत्र गयाप्रसाद बजाज(फौत)

9/1. अनिल पुत्र जगदीश
9/2. अजय पुत्र जगदीश
9/3. अनुत पुत्र जगदीश सभी जातियान महाजन (खरेटा वाले) निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

**(अपील विरूद्व मु0नं0 10/03 निर्णय व डिकी दिनांक 21.2.12 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)**

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम प्रकाश गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री महेश कुमार सिंहल

दिनांक 13.01.2026

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 21.2.12 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि कस्बा हिण्डौन मे साबिक खसरा न0 962 रकबा 15 विस्वा , 964 रकबा 14 विस्वा स्थित है। जिसके हाल खसरा न0 1862 व 1808 भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये है। जो कि वादी की खातेदारी की भूमि है। वादी हिण्डौन मे कम रहते है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से [illegible] नही है। प्रतिवादीगण जो वादी हिण्डौन मे नही रहने का नाजायज फायदा उठाकर [illegible] आसपास वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की उपरोक्त आराजीयात पर पत्थर डालकर मजाहमत करना शुरु कर दिया है। धीरे धीरे वादी के रकबे पर पत्थर डालकर वादी के हक हकूको खातेदारी काश्तकारी पर विपरीत असर डालने लग गये और उन्होने कृषि भूमि की शक्ल बदलकर कार्मशीयल यूज मे लेना शुरु कर दिया है और वादी के काफी रकबे को घेर लिया है। वादी की भूमि पर पत्थर डालने की जानकारी दिनांक 1980 को होने पर वादी ने इस कब्जे को हटाने को कहा तो मना कर दिया । इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल करे, वादी को कब्जा संभलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून व तथ्यो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। आराजी साबिक खसरा न0 962 रकबा 15 विस्वा व खसरा न0 964 रकबा 14 विस्वा जिनके हाल खसरा न0 1862 व 1808 भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये है वादी अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसके सबूत मे वादी की और से नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2 व मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 पेश किये थे। जिसमे वादी की खातेदारी इन्द्राज मौजूद है। वादी की खातेदारी बखूबी साबित है जिसे अदालत मातहत ने गौर नही किया है। वादी द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य एवं हल्फिया बयान व गवाह छोटे लाल के हल्फिया बयान कराये गये है। जिन से वादी का दावा बखूबी साबित है इन बयानो पर अदालत मातहत ने कोई गौर नही किया है। प्रतिवादीगण की और से स्वयं प्रतिवादी तक के बयान नही कराये गये है ना ही प्रतिवादीगण से वादी वकील को जिरह का अवसर दिया है। प्रतिवादीगण की और से कोई दस्तावेज भी साबित नही कराये गये है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादी/अपीलांट खारिज किया है। अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा को आधार बनाते हुए दावा खारिज किया है। जबकि बयनामा प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य से साबित नही कराया है ना ही अपीलांट वादी द्वारा अपने हिस्से की जमीन वय किया गया है ना ही मेरे हिस्से को अरूण कुमार को बय करने का अधिकार या प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजीयात मे अपने हिस्से को कभी भी बेचा नही गया है ना ही कीमत प्राप्त की गई। ना ही बेचान द्वारा कब्जा दिया गया है। समस्त कार्यवाही फर्जी की गई है। ऐसी फर्जी कार्यवाही से मुझ अपीलांट के हक हकूको पर कोई प्रभाव नही पडता है। ऐसा बेचान हकूको पर प्रभावहीन व शून्य है जिसे अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलांट का धनपतराय मुख्त्यार आम नही था ना ही धनपत राय को बयनामा कराने का अधिकार मेरे द्वारा दिया गया ना ही धनपतराय [illegible] मेरे खातेदारी हकूक बेचे जा सकते है। ना ही बेचे गये है। ऐसा बेचान [illegible] प्रभावहीन है बयनामा मेरे हकूको पर नल एण्ड वोईड है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने [illegible] साबित नही कराया है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की उपरोक्त आराजीयात पर पत्थर डालकर मजाहमत करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वादी के रकबे पर पत्थर डालकर वादी के हक हकूको खातेदारी काश्तकारी पर विपरीत असर डालने लग गये और उन्होने कृषि भूमि की शक्ल बदलकर कार्मशीयल यूज मे लेना शुरू कर दिया है और वादी के काफी रकबे को घेर लिया है। वादी की भूमि पर पत्थर डालने की जानकारी दिनांक 1980 को होने पर वादी ने इस कब्जे को हटाने को कहा तो मना कर दिया । इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून व तथ्यो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। आराजी साबिक खसरा न0 962 रकबा 15 विस्वा व खसरा न0 964 रकबा 14 विस्वा जिनके हाल खसरा न0 1862 व 1808 भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये है वादी अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसके सबूत मे वादी की और से नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2 व मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 पेश किये थे। जिसमे वादी की खातेदारी इन्द्राज मौजूद है। वादी की खातेदारी बखूबी साबित है जिसे अदालत मातहत ने गौर नही किया है। वादी द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य एवं हल्फिया बयान व गवाह छोटे लाल के हल्फिया बयान कराये गये है। जिन से वादी का दावा बखूबी साबित है इन बयानो पर अदालत मातहत ने कोई गौर नही किया है। प्रतिवादीगण की और से स्वयं प्रतिवादी तक के बयान नही कराये गये है ना ही प्रतिवादीगण से वादी वकील को जिरह का अवसर दिया है। प्रतिवादीगण की और से कोई दस्तावेज भी साबित नही कराये गये है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादी/अपीलांट खारिज किया है। अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा को आधार बनाते हुए दावा खारिज किया है। जबकि बयनामा प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य से साबित नही कराया है ना ही अपीलांट वादी द्वारा अपने हिस्से की जमीन वय किया गया है ना ही मेरे हिस्से को अरूण कुमार को बय करने का अधिकार या मुझ वादी द्वारा विवादित आराजीयात मे अपने हिस्से को कभी भी बेचा नही गया है ना ही कीमत प्राप्त की गई। ना ही बेचान द्वारा कब्जा दिया गया है। समस्त कार्यवाही फर्जी की गई है। ऐसी फर्जी कार्यवाही से मुझ अपीलांट के हक हकूको पर कोई प्रभाव नही पडता है। ऐसा बेचान हकूको पर प्रभावहीन व शून्य है जिसे अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलांट का धनपतराय मुख्तयार आम नही था ना ही धनपत राय को बयनामा कराने का अधिकार मेरे द्वारा दिया गया ना ही मेरे खातेदारी खातेदारी हकूक बेचे जा सकते है। ना ही बेचे गये है। ऐसा बेचान से भी मेरे हक हकूको प्रभावहीन है बयनामा मेरे हकूको पर नल एण्ड वोईड है। प्रतिवादीगण की और से बयनामा को साबित नही कराया है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेज को साबित कराया है। ना ही उन पर प्रदर्श डाला गया है ना ही जिरह के लिए प्रतिवादी उपस्थित हुए है। ना ही स्वच्छंद गवाह कराया गया है फिर भी आरबेट्रेटरी रूप से अदालत मातहत ने दावा खारिज किया है। वादी के वकील बीमारी से ग्रसित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके वादी के वकील की अदम हाजरी मे बिना किसी कारण से मैरिट पर दावा खारिज किया है। निर्णय मे वादी वकील की गैर हाजरी लिखी है। जबकि डिक्री मे वादी वकील की हाजरी दर्ज की है। वादी की सुनवाई बहस की स्टेज पर नही की गई है इसलिए निर्णय व डिक्री मन्सूखा होने योग्य है। अपीलांट जयपुर स्थाई रूप से रहता है हिण्डौन मे बिजनैस समाप्त हो गया है। इसलिए हिण्डौन आना जाना नही था। अपीलांट के वकील ने यह कह रखा था कि तुम्हारी आवश्यकता होने पर या निर्णय होने पर तुम्हे सूचित कर दिया जावेगा लेकिन अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री वकील की अदम मौजूदगी मे अदम हाजरी मे दिये गये है। दिनांक 21.2.13 को वादी/अपीलांट हिण्डौन आया तब निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि विवादित भूमि अरूण तिवारी द्वारा दिनांक 8.5.79 को प्रतिवादी न0 3 व बृजभान पुत्र लल्लू व रघुवीर सिह, सरदार पिसरान करतार सिह के हक मे बयनामा तस्दीक हुआ है। इसके बाद संशोधन पत्र अरूण कुमार व प्रधुम्न कुमार तिवाडी के नाम से इन्ही उपरोक्त तीनो आदमियो के हक मे दिनांक 11.12.79 को संशोधन पत्र तस्दीक कराया गया है इसके आधार पर नामा0 संख्या 2737 मे इन्ही के नाम दर्ज है और केता बृजभान ने दिनांक 29.1.82 को खसरा न0 964 मे अपने 1/3 हिस्से को पूरण,दिनश ,महेन्द्र ,संजय महाजन के नाम बयनामा करा दिया गय तथा सरदार,रघुवीर सिह ने खसरा न0 964 मे से 1/3 हिस्से को रामपति ,द्रोपती,अशोक कुमार को दिनांक 13.4.82 को बयनामा तस्दीक कराया है। खसरा न0 962 मे जगदीश ,बृजभान,करतार,रघुवीर सिह खातेदार काश्तकार है और भूमि पर इन्ही का कब्जा है। दावा मे मुरारीलाल व किस्तुरा को गलत फरीक बनाया गया है। जबकि केतागण को पक्षकार बनाना चाहिए था। वादी/अपीलांट का विवादित भूमि से कोई संबंध नही है। दावा धारा 183 के तहत मेन्टेवल नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद को साबित करने हेतु तनकीयात कायम की गई। जिसे वादी/अपीलांट सिद्व कर पाने मे असफल रहे है। चूकि भूमि का बेचान प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम होने से कय दिनांक से ही रेस्पो0 भूमि पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी रेस्पो0 के नाम दर्ज है। जब विवादित आराजीयात का बेचान हो चुका है तो अपीलांट/वादी रेस्पो0/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कराने का अधिकारी नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन [illegible] अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह [illegible] अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय मे आराजीयात वर्तमान खसरा न0 1862 व 1808 वाके कस्बा हिण्डौन मे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पत्थर डालकर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण उक्त आराजीयात से रेस्पो/प्रतिवादीगण को बेदखल करने की इस्तदुआ चाही गई थी। चूकि विवादित आराजीयात साबिक खसरा न0 962 एवं 964 भूमि उप पंजीयक हिण्डौन सिटी के यहॉ पर अरूण कुमार पुत्र कन्हैया लाल तिवाडी ने जगदीश पुत्र गंगा प्रसाद ,बृजभान पुत्र लल्लूराम,रघुवीर सिह पुत्र करतार सिह को दिनांक 8.5.79 को तहरीर किया जा चुका है तथा संशोधन पत्र पुनः अरूण कुमार पुत्र कन्हैया लाल व प्रधुमन दत्तक पुत्र गोविन्द नारायण तिवाडी द्वारा इन्ही को दिनांक 15.11.79 को उप पंजीयक हिण्डौन के यहॉ तस्दीक कराया गया है। जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पंजीवद्व बयनामे से होती है। इस प्रकार विवादित आराजीयात का विक्रय सन 1979 मे हो चुका है तो वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात का खातेदार नही रहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजीयात की खातेदारी वादी/अपीलांट के नाम नही होने के तथ्य को वादी/अपीलांट द्वारा अपने बयान दिनांक 6.6.03 को स्वयं ने स्वीकार किया है। उक्त दोनो ही बयनामे मुख्तयार आम धनपतराय द्वारा कराया गया है जिसे आम मुख्तयार आम के अधिकार थे। मुख्यतयार आम वादी/अपीलांट की सहमति से कराया गया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा उक्त बयनामो को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देने के संबंध मे किसी प्रकार का कथन नही किया है। बयनामे के पश्चात विवादित आराजीयात के बाबत अधिकार अपीलांट/वादी के समाप्त हो चुके है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर वाद पत्र मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 10/03 निर्णय व डिकी दिनांक 21.2.12 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिगरी बसीगे अपील
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)
( Civil Procedure code, Appendix G )
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर
बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

तिवाडी प्रधुमन कुमार दत्तक पुत्र गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुर अपीलांट

बनाम

1. पूरण पुत्र किस्तुरा (मृतक)
2. दिनेश पुत्र किस्तुरा
3. महेन्द्र पुत्र किस्तुरा
4. संजय पुत्र किस्तुरा
5. आशा उर्फ ओमवती पुत्री किस्तुरा
6. उमा पुत्री किस्तुरा
7. मंजू पुत्री किस्तुरा सभी जातियान महाजन निवासीयान हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. मुरारी पुत्र लल्लूराम (फौत)
   8/1. शांति पत्नि मुरारीलाल (फौत)(हजफ)
   8/2. गोपाल पुत्र मुरारीलाल
   8/3. बाबूलाल पुत्र मुरारीलाल
   8/4 मनोज कुमार पुत्र मुरारीलाल सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान हिण्डौन सिटी हाल निवासी 177 नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर
9. जगदीश पुत्र गयाप्रसाद बजाज(फौत)
   9/1. अनिल पुत्र जगदीश
   9/2. अजय पुत्र जगदीश
   9/3. अनुत पुत्र जगदीश सभी जातियान महाजन (खरेटा वाले) निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 17/2013 निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी दिनांक 21.2.12 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट । यह अपील संख्या 17/13 व तारीख 13.01.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्याम प्रकाश गर्ग अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री महेश कुमार सिंहल उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 10/03 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.2.12 की पुष्टि की जाती है।

बदस्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13.01.2026 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

खर्चा अपील

| अपीलांट | रूपये | पैसे | रेस्पो0 | रूपये | पैस |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अपील | --- | --- | स्टाम्प अपील | --- | --- |
| स्टाम्प वकालतनामा | --- | --- | स्टाम्प वकालतनामा | --- | --- |
| इजराय हुक्मनामा | --- | --- | इजराय हुक्मनामा | --- | --- |
| वकील फीस बाबत | --- | --- | वकील फीस बाबत | --- | --- |

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner